कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

—:0 संशोधित आदेश 0:—

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / 345 / सां.लि. / COVID-19 / 2020 दन्तेवाड़ा दिनांक 27 / 04 / 2020

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर केपत्र क्रमांक 191, दिनांक 22.04.2020 द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों में संशोधन एवं स्पष्टीकरण एवं भारत शासन, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के तारतम्य में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 307 / सां.लि. / COVID-19 / 2020, दिनांक 14 / 04 / 2020 एवं पत्र क्रमांक / 1864 / सां.लि. / COVID-19 / 2020, दिनांक 20 / 04 / 2020 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दिनांक 03 मई, 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 के पालन के दौरान, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले में 20 अप्रैल, 2020 से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संबंध में जारी दिशा— निर्देश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

निम्नांकित गतिविधियों में अनुमति होगी :—

1. वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियां ।

अन्य :—जिले में निम्नानुसार व्यवसायिक दुकान / प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति होगी :—

- **सप्ताह में केवल 02 दिवस खुलने वाले दुकान / प्रतिष्ठान :—**

1. निर्माण संबंधी हार्डवेयर **(सोमवार एवं गुरूवार)**
2. बर्तन, कपड़ा, ज्वेलरी **(मंगलवार एवं शुक्रवार)**
3. फैंसी स्टोर्स, जुते—चप्पल **(बुधवार / शनिवार)**

- **प्रत्येक दिवस खुलने वाली दुकानें :—**

1. सब्जी, फल, अनाज
2. छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान / स्टेशनरी मार्ट
3. डेली निड्स / खाद्यान्न / किराना दुकान (सभी प्रकार)
4. कृषि संबंधित मशीनरी / स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत
5. पशु आहार एवं खाद / उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय
6. चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय
7. आप्टीकल्स (चश्मा)
8. मोबाईल रिचार्ज (मोबाईल विक्रय की अनुमति नहीं है)
9. दुपहिया एवं चारपहिया वाहनों के पंचर / रिपेयर, स्पेयर पार्टस
10. आटा मिल, दाल मिल
11. बिजली के पंखे, कुलर एवं इलेक्ट्रिक सामग्री के विक्रय तथा मरम्म्त

- मिस्त्री, बढ़ाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्युटर रिपेयर की केवल सेवाओं की अनुमति है ।
- पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं मेडीकल दुकान / प्रतिष्ठान के अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान छुट प्राप्त अन्य समस्त दुकान / प्रतिष्ठान को प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी ।

27/4/2020

Collector and District Magistrate
South Bastar Dantewada(C.G.)

... 2 ...

- केवल स्थापना अधिनियम के तहत् रजिस्टर्ड दुकान/प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति है ।
- समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल आवश्यक 50% कर्मियों के साथ कार्य किया जावेगा ।
- **समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों में दुकानदार, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढकना अनिवार्य होगा ।**
- **फिजिकल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा ।**
- लॉकडाउन के संबंध में शासन/प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमों का पालन अनिवार्य होगा ।
- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश यथा फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी । निर्देशों की किसी भी प्रकार का अव्हेलना किया जाना पाये जाने की स्थिति में दुकानदान के विरूद्ध प्रथमतः चालानी कार्यवाही एवं तदोपरांत दुकान/प्रतिष्ठान सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।

27/4/2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./ 346 /सां.लि./COVID-19/2020 दन्तेवाड़ा दिनांक 27/04/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
3. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर ।
6. कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर आदेश का पालन करवाये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली ।
10. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दन्तेवाड़ा/किरन्दुल ।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
12. उप संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

13. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
15. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, दन्तेवाड़ा/किरन्दुल/बचेली/गीदम/बारसूर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
16. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना दन्तेवाड़ा/गीदम/कुआकोण्डा/कटेकल्याण/किरन्दुल/बचेली/भांसी/बारसूर/फरसपाल/अरनपुर । कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
17. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856–252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।

27/4/2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा